मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 967

02.12.2024 को उत्तर के लिए

हाथियों का आतंक

967. श्री रूद्र नारायण पाणी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ओडिशा राज्य में, विशेषकर अंगुल और ढेंकानाल जिलों में हाथियों का आतंक बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाथियों के आतंक के कारण होने वाली जान-माल की हानि को रोकने तथा फसलों आदि की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडिशा के अंगुल एवं ढेंकानाल जिले में अप्राकृतिक कारणों से हाथियों की मौत तथा हाथियों के कारण हताहत लोगों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	**अंगुल जिला**		**ढेंकानाल जिला**	
	हाथियों की मौत	**मनुष्यों की मौत**	**हाथियों की मौत**	**मनुष्यों की मौत**
2021-22	6	14	3	17
2022-23	5	16	5	34
2023-24	4	24	4	32
2024-25 (अब तक)	2	8	2	17
कुल	**17**	**62**	**14**	**100**

मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के उपशमन और प्रबंधन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-पशु संघर्ष के बारे में आम जनता को जागरूकता बनाने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना का प्रसार भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग हाथियों की आवाजाही की निगरानी करने और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचने, मानव जीवन, संपत्ति और हाथियों को होने वाले नुकसान या क्षति को रोकने के लिए आगाह करने हेतु स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ रहे हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) मंत्रालय हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों के संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों के समाधान और देश में बंदी हाथियों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास' सहित अन्य विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं जल स्रोतों को बढ़ाकर, चारे के पेड़ लगाकर, बांस के पुनर्जनन आदि के माध्यम से हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास में सुधार करने में योगदान देती हैं। प्रतिपूरक वनरोपण कोष अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए नियमों में हाथियों के पर्यावास सहित वन्यजीव पर्यावासों के विकास, पशु बचाव केंद्रों की स्थापना आदि के लिए निधि के उपयोग का प्रावधान है, जो मानव-हाथी संघर्ष में कमी लाने में भी योगदान देते हैं।

(iii) मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2021 में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष वाले हॉटस्पॉट की पहचान, मानक संचालन पद्धतियों का अनुपालन, त्वरित कार्रवाई दलों का गठन, अनुग्रह राहत राशि की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/निर्देश जारी करना और व्यक्तियों की मृत्यु और घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राहत राशि के उपयुक्त हिस्से का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 जून, 2022 को फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें वन सीमांत क्षेत्रों में उन फसलों, जो जंगली जानवरों के लिए अरुचिकर हैं, कृषि वानिकी मॉडल जिसमें नकदी फसलें जैसे मिर्च, नींबू घास, खस घास आदि शामिल हैं जिन्हें पेड़/झाड़ी प्रजातियों के साथ उपयुक्त रूप से मिलाया जाता है, को बढ़ावा देना शामिल है । इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल के लिए व्यापक दीर्घकालिक योजना की तैयारी और कार्यान्वयन भी शामिल है।

(v) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से 'रैखिक अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय' (2016) नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिसका उद्देश्य रेलवे लाइनों सहित रैखिक अवसंरचना को इस तरह से डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता करना है, जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो।

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के समन्वय से भारत के 15 हाथी क्षेत्र वाले राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 150 हाथी गलियारों का जमीनी सत्यापन किया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित किया है।

(vii) हाथियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और समन्वय स्थापित करने तथा संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी पर्यावासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय में गठित संचालन समिति की मंजूरी से अधिसूचना जारी की जाती है। अब तक हाथी क्षेत्र वाले 14 प्रमुख राज्यों में हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं।

(viii) दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए अग्र पंक्ति के कर्मचारियों के लिए एक फील्ड मैनुअल जारी किया गया। इसके अलावा, मैनुअल का उडिया सहित स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

(ix) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मानव-वन्य जीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए विनियामक कार्यों का प्रावधान करता है।

(x) रेल मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 30 मार्च, 2010 को उत्तरी सीमांत (एनएफ), पूर्वी तट तथा दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधकों को एक सामान्य परामर्शी जारी की गई है, जिसमें सुझाए गए उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

(xi) हाथी और अन्य वन्यजीवों पर विद्युत पारेषण लाइनों और अन्य विद्युत अवसंरचना के प्रभाव को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन पर विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी डिस्कॉम और ट्रांसको को जारी परामर्शिका 16 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई है।

(xii) मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव-हाथी संघर्ष उपशमन हेतु दिशानिर्देश (2023) भी जारी किए हैं।

(xiii) मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और प्रतिशोध के लिए हाथियों की हत्या किए जाने से बचने के लिए, जंगली हाथियों द्वारा उनकी संपत्ति और जीवन को हुए नुकसान के लिए स्थानीय समुदायों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2023 के पत्र संख्या WL-

21/4/2023 WL के माध्यम से वन्यजीवों के उपद्रव से संबंधित अनुग्रह राहत राशि की दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसमें जंगली जानवरों के कारण होने वाली मौत के मामले में अनुग्रह राहत राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करना शामिल है।

(xiv) रेल दुर्घटना में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति गठित की गई है।

(xv) रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की जाती है ताकि रेलगाड़ी से टकराने और बिजली के झटके लगने से हाथियों की आकस्मिक मौत के मुद्दे का समग्र रूप से समाधान किया जा सके।

(xvi) विश्व हाथी दिवस 2024 के दौरान संकटग्रस्त एवं संघर्षरत हाथियों को पकड़ने एवं स्थानांतरित करने के लिए अनुशंसित संचालन पद्धति जारी की गई है।

(xvii) दिनांक 13-15 मार्च, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना" विषय पर एक क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई।

(xviii) भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को कम करना" विषय पर एक क्षमता संवर्धन कार्यशाला दिनांक 23-25 नवंबर, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में आयोजित की गई।

(xix) दिनांक 28-29 नवंबर, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना" विषय पर एक क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई।

(xx) "भारत में विद्युत अवसंरचना में बिजली के झटके के जोखिम को कम करने और वन्यजीव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाधान तलाशना" विषय पर एक क्षमता संवर्धन कार्यशाला दिनांक 11-13 जनवरी, 2024 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में आयोजित की गई।

(xxi) दिनांक 20-22 नवंबर, 2024 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "भारत में विद्युत अवसंरचना में विद्युत-आघात जोखिम को कम करना और वन्यजीव सुरक्षा को बढ़ावा देना" तथा "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को कम करना" विषय पर क्षमता संवर्धन कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

*****